न्यायालय उपखण्ड अ (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चिमाराम 2 तेजाराम पिसरान मोटाराम जाति जाट निवासी महादेव नगर नांद तहसील व जिला बाडमेर।		1 ईशराराम 2 भगाराम 3 मेघाराम 4 राणाराम 5 श्रवण कुमार पिसरान सुखराम 6 अणसी 7 चतरू पिसरान ठाकराराम 8 पतुराम पुत्र मूलाराम 9 पेमाराम 10 पेमी 11 पार्वती 12 भोमाराम 13 मीरो 14 लुणाराम 15 लुंभाराम पिसरान ठाकराराम 16 लाछी पत्नी ठाकराराम 17 हीराराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी महादेव नगर नांद तहसील व जिला बाडमेर 18 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 19 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 28.07.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 799/473 रकबा 12.1972 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 17 के खसरा संख्या 801/473 रकबा 31.3226 हैक्टयर व खसरा संख्या 804/473 रकबा 6.6854 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 805/473 रकबा 8.2718 हैक्टेयर में से सरकारी रास्ता तक जाने का एक–मात्र रास्ता है जो परिशिष्ठ 'अ' में मार्क संख्या ए से बी से दर्शित है, इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उप तहसीलदार विशाला के पत्रांक भू.अ./2023/169 दिनांक 05.06.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 799/473 रकबा 12.1972 हैक्टयर भूमि से सरकारी सड़क तक आने–जाने हेतु मौके पर रास्ते से लगता नही है तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की जोत तक आने–जाने हेतु खसरा संख्या 805/473 व 801/473 में आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित है। डामर सड़क सुरा से नांद जाने वाली सड़क से खसरा संख्या 801/473 रकबा 193.01 बीघा में से 20 फीट रास्ता चौड़ाई व 76 गठ्ठा लम्बा तथा 10 फीट चौड़ा व 80 गठ्ठा लम्बा तथा खसरा संख्या 805/473 रकबा 51.02 बीघा भूमि में से 10 फीट चौड़ा व 80 गठ्ठा लम्बा रास्ता संलग्न नक्शा में बरंग हरा अनुसार प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि संचित श्रेणी की भूमि है जो मौके पर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

E:\JITENDRA RAMAWAT\251 A\order 251.docx

खाली है जिसका उपयोग कृषि कार्य हेतु लिया जा रहा है, जिसकी डीएलसी दर 144114/– रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है और प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई	प्रस्तावित मार्ग का रकबा	डीएलसी दर प्रति बीघा	डीएलसी दर की दुगूनी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ईशाराम पुत्र सुखराम जाट 1/5 भगाराम पुत्र सुखराम जाट 1/5 मेघाराम पुत्र सुखराम जाट 1/5 राणाराम पुत्र सुखाराम जाट 1/5 श्रवण कुमार पुत्र सुखराम जाट 1/5	805/473	8.2718 हैक्टयर	बा.सो.	528 फीट X 10 फीट	0.0490 हैक्टेयर	144114/–	87248/–
2	अणसी पुत्री ठाकरा जाट 1/30 चतरू पत्री ठाकरा जाट 1/30 पतुराम पुत्र मूलाराम जाट 1/30 पेमाराम पुत्र ठाकराराम जाट 1/30 पेमी पुत्री ठाकराराम जाट 1/30 पार्वती पुत्री ठाकराराम जाट 1/30 भोमाराम पुत्र ठाकराराम जाट 1/30 मीरां पुत्री ठाकराराम जाट 1/30 लुणाराम पुत्र ठाकराराम जाट 1/30 लुभाराम पुत्र ठाकराराम जाट 1/30 लाछी पत्नी ठाकराराम जाट 1/30 17 हीराराम पुत्र मूलाराम जाट 1/30	801/473	31.3226 हैक्टयर	बा.सो.	528 फीट X 10 फीट 502 फीट X 20 फीट	0.1423 हैक्टेयर	144114/–	253376/–

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उप तहसीलदार विशाला द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ठ में बरंग हरा के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 17 ने उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौके का प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण का

अपनी कृषि जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 799/473 रकबा 12.1972 हैक्टयर भूमि से सरकारी सड़क तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की भूमि खसरा संख्या 801/473 रकबा 31.3226 हैक्टयर में सरकारी मार्ग तक आने–जाने हेतु 0.0490 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 805/473 रकबा 8.2718 हैक्टेयर में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु रकबा 0.1423 हैक्टेयर जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा दर्शाई गई है। प्रार्थीगण उक्त हिस्सा अनुसार राशि के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर उप तहसीलदार विशाला राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 17 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 28.07.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर